

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
कार्यालय कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्, इटारसी
ई-मेल आईडी - eehoshangabad@gmail.com


क्रमांक/त.सं.नर्मदा./स्टो.शा./वाहन/निविदा/2026-27/41

इटारसी दिनांक 27-04-2026

// निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित ट्रेवलर्स एजेन्सियों को सूचित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री को कार्यालयीन कार्य एवं संभाग के अंतर्गत मंडियों के निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु संभाग अंतर्गत 03 उपसंभागों में पदस्थ सहायक यंत्रियों को उनके उपसंभाग में निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु 03 नग बोलेरो या समकक्ष वाहन (सिस्टम निविदा क्रमांक 2026_MPSAM_503768_1) किराये पर लिए जाने हेतु ऑनलाईन निविदा दिनांक 22-05-2026 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। म0प्र0 शासन के ई-निविदा पोर्टल <https://mptenders.gov.in> पर अद्यतन एवं दर्शाये गये समय पर निविदा ऑनलाईन प्राप्त की जाएगी। निविदा से संबंधित जानकारी मंडी बोर्ड की वेबसाइट www.mpmmandiboard.gov.in पर अवलोकनीय होगी।

नोट :- आवश्यक होने पर निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी।


कार्यपालन यंत्री

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
कार्यालय कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्, इटारसी
ई-मेल आईडी - eehoshangabad@gmail.com

// निविदा प्रस्तुत करने की मुख्य तिथियाँ //

(सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए वाहन किराए पर लिये जाने हेतु आनलाईन निविदा बावत्।)


कार्य का नाम :- नर्मदापुरम् संभाग अंतर्गत 03 उपसंभागों में पदस्थ यंत्रियों के भ्रमण के लिए लिए 03 नग वाहन को किराए पर लेने हेतु आनलाईन निविदा।

निविदा सिस्टम क्रमांक:- 2026_MPSAM_503768_1

1	Publishing Date	30-04-2026, 10:30
3	Bid Submission Start Date	30-04-2026, 17:30
5	Bid Opening Date	25-05-2026, 11:30

2	Document Download/ Sale Start Date	30-04-2026, 11:30
4	Bid Submission Closing Date	22-05-2026, 17:30

नोट :- उक्त तिथियों में यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।




कार्यपालन यंत्री

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
कार्यालय कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्, इटारसी
ई-मेल आईडी - eehoshangabad@gmail.com
// निविदा हेतु दिशा-निर्देश //

(सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए वाहन किराए पर लिये जाने हेतु आनलाईन निविदा बावत्।)

1. म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम् अंतर्गत 03 उपसंभाग में पदस्थ सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए पृथक-पृथक 03 नग वाहन किराया पर लिये जाने हेतु केवल आनलाईन निविदाएं (ई-टेंडर) म0प्र0 शासन के निविदा पोर्टल पर आमंत्रित की जाती हैं।
2. चयनित निविदाकार द्वारा उक्त जिला मुख्यालय से उस जिले अंतर्गत कार्यक्षेत्र हेतु संबंधित सहायक यंत्री की मांगानुसार भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र में चाही गई जानकारी स्पष्टतः भरी जावे।
4. निविदा में अंकित नियम व शर्तों को अच्छी तरह पढ़ने व समझने के उपरांत निविदा की कार्यवाही सम्पादित की जावे।
5. निविदा में अंकित चाहे गये समस्त दस्तावेज अभिप्रमाणित (वाहन एजेंसी की सील एवं अधिकृत हस्ताक्षर) कर पी0डी0एफ0 फाईल में संलग्न किया जावे। इस बात का विशेष ध्यान दिया जावे कि स्केन पी0डी0एफ0 स्पष्ट हो, अन्यथा निविदाकार की निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. निविदाकार कही भी ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में दर्ज) नहीं होना चाहिए।
7. निविदा में किसी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है तो संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।
8. निविदा से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी "कार्यालय कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्, इटारसी" से कार्यालयीन दिवसों में समय प्रातः 10.00 से सायं 06.00 बजे के मध्य प्राप्त की जा सकती हैं।



कार्यपालन यंत्री

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
कार्यालय कार्यपालन यंत्री तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्, इटारसी
ई-मेल आईडी - eehoshangabad@gmail.com
// निविदा के नियम व शर्तें //

(सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए वाहन किराए पर लिये जाने हेतु आनलाईन निविदा बावत्।)

1. म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम् अंतर्गत उपसंभाग में पदस्थ सहायक यंत्रियों को उनके उपसंभाग की सीमा अंतर्गत मंडियों के निर्माण कार्यों के निरीक्षण हेतु पृथक-पृथक 03 नग वाहन किराये पर उपलब्ध कराया जाना है।
2. म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम् को टैक्सी परमिट में पंजीकृत वाहन नर्मदापुरम् संभाग अंतर्गत उपसंभागों में पदस्थ सहायक यंत्रियों के लिए प्रति किलोमीटर के आधार पर उनके उपसंभाग की सीमा अंतर्गत मंडियों के निरीक्षण हेतु (किन्तु प्रति सहायक यंत्री वाहन किराया की अधिकतम व्यय सीमा रु. 17000/- (शब्दों में रुपये सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं) 03 नग वाहन किराये पर न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि हेतु लेने बावत् आनलाईन निविदाएं (ई-टेण्डर) आमंत्रित की जाती हैं।
3. निविदा की निर्धारित प्रपत्र मूल्य राशि रु. 2,000/- (शब्दों में रु. दो हजार मात्र) है एवं अमानत राशि रु. 20,400/- (शब्दों में रु. बीस हजार चार सौ मात्र) पोर्टल के माध्यम से जमा की जावेगी। प्राप्त रसीदें संलग्न कर अपलोड की जानी होगी।
4. प्राप्त दरों में से न्यूनतम दर होने के उपरांत चयनित निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित कार्य की परफार्मेंस स्क्युरिटी डिपोजिट (Performance Security Deposit) राशि रु. 61,200/- (शब्दों में रु. इकसठ हजार दौ सौ मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ0डी0आर0 के रूप में "कार्यपालन यंत्री म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्" के पक्ष में जमा करना होगा। परफार्मेंस स्क्युरिटी डिपोजिट होने के उपरांत ही निविदा आवंटित की जावेगी।
5. चयनित निविदाकार द्वारा परफार्मेंस स्क्युरिटी डिपोजिट राशि की एफ0डी0आर0 जमा करने एवं निविदा शर्तों के अधीन अनुबंध निष्पादन करने के उपरांत ही अमानत राशि वापिस किया जावेगी।
6. जी0एस0टी0(GST) वस्तु एवं सेवाकर अंतर्गत पंजीकृत फर्म/संस्था ही आवेदन करें। संबंधित एजेंसी द्वारा विगत 06 माह में नियमानुसार जमा की गई जी0एस0टी0(GST) की पावती को संलग्न करना होगा।

तकनीकी अर्हताएं :-

1. निविदाकर्ताओं को ट्रेवल एजेंसी संचालन का अनुभव होना चाहिए। अतः वाहन एजेंसी के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वशासी/शासन के बोर्ड/निगम/उपक्रम जैसी संस्था/संस्थानों में वाहन सेवा देने का कम से कम 03 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार को विगत 03 वर्ष का आय प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिटर्न एवं राशि रु 5,00,000/- (शब्दों में रु. पाँच लाख मात्र) या अधिक प्रतिवर्ष का 03 वर्षों का टर्न ओवर का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रमाण पत्र सी0ए0 द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
3. वाहन का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में टैक्सी कोटे के अंतर्गत होना अनिवार्य है तथा निविदाकार के स्वामित्व अथवा एजेंसी से संलग्नता (निविदा जारी दिनांक से 01 वर्ष पूर्व की न हो) न्यूनतम 03 वाहन होना अनिवार्य है। जिसके प्रमाण स्वरूप उसे वाहन के पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ वाहन से संबंधित दस्तावेज यथा वाहन का पंजीयन, बीमा, पी0यू0सी0, फिटनेस प्रमाण पत्र, ड्राइवर का नाम/उसका मोबाइल नंबर/उसका ड्राइविंग लायसेंस आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय ऑफर :-

1. निविदाकार द्वारा वाहनों की दरें संलग्न निविदा प्रपत्र 'खण्ड-5' के 'बिन्दु क्र.-05' अनुसार वेरिएबल चार्ज (Variable charge per km. charge) प्रति किलोमीटर दरें अंकित की जानी होंगी। अतः संलग्न निर्धारित बी0ओ0क्यू0 (BOQ) फाईल में ही प्रति किलोमीटर दरें आनलाइन भरी जावे। ऑफर दरें नियमानुसार जी0एस0टी0 सहित होंगी।
2. यदि वाहन 120 कि.मी. या इससे कम चलता है तो न्यूनतम 120 किमी का भुगतान निविदाकार द्वारा प्रस्तुत उक्त दर से किया जावेगा।
3. उक्त दरें प्रति किलोमीटर के आधार पर ही प्रस्तुत की जावें।
4. वाहन किराया प्रति सहायक यंत्र की अधिकतम व्यय सीमा रु. 17,000/- (शब्दों में रु. सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।
5. दरों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई राशि टैक्स इत्यादि देय नहीं होगा।
6. निविदाकर्ताओं द्वारा दी गई दरें समान प्राप्त होने पर निर्णय विगत 03 वर्ष के टर्न ओवर अधिकतम होने की स्थिति पर लिया जावेगा।

निविदा की अन्य शर्तें :-

1. वाहन का पंजीयन अप्रैल 2025 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. वाहन किराये की दरें प्रति किलोमीटर अंकित की जानी होगी। किन्तु वाहन किराया की अधिकतम व्यय सीमा रु. 17,000/- (शब्दों में रु. सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह प्रति सहायक यंत्री होगी।
3. वाहन की उपरोक्त दरें, जिसमें पेट्रोल/डीजल/अन्य ईंधन की खपत भी सम्मिलित है।
4. संबंधित एजेंसी को वाहन चालक सहित (1.) सहायक यंत्री, उपसंभाग नर्मदापुरम् को नर्मदापुरम् मुख्यालय जिले में, (2.) सहायक यंत्री, उपसंभाग हरदा को हरदा मुख्यालय जिले में, (3.) सहायक यंत्री, उपसंभाग बैतूल को बैतूल मुख्यालय जिले में वाहन उपलब्ध कराना होगा।
5. उक्त बिन्दु क्रमांक-04 के संदर्भ में संबंधित सहायक यंत्रियों का कार्यक्षेत्र उनके पदस्थ उपसंभाग सीमा अंतर्गत आने वाली मंडियों में रहेगा। वाहन एजेंसी संबंधित सहायक यंत्री की मांगानुरूप केवल भ्रमण के लिए वाहन उपलब्ध करा सकेगा।
6. वाहन चालक संबंधित एजेंसी का रहेगा जिसके पास नियमानुसार ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है।
7. तकनीकी अर्हता में अर्हति होने पर ही वित्तीय आफर खोले जावेगे।
8. निविदा दरें कार्यादेश जारी करने से 02 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी तथा इसके पश्चात दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं संतोषजनक वाहन सेवा दिये जाने के आधार पर अनुबंध अवधि अधिकतम 01 वर्ष तक के लिए वृद्धि की जा सकेगी।
9. अनुबंध की अवधि में 02 वर्ष के दौरान यदि पेट्रोल/डीजल/अन्य ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होती है, तो निविदाकार द्वारा निविदा में दी गई दरों में कोई वृद्धि नहीं की जावेगी। 02 वर्ष पश्चात यदि अनुबंध की अवधि में वृद्धि की जाती है तो दी गई दरों में वृद्धि अथवा कमी पेट्रोल/डीजल /अन्य ईंधन में हुई वृद्धि के ऑकलन अनुसार की जा सकेगी।
10. वाहन के पंजीयन एवं इन्श्युरेंस तथा पी0यू0सी0 पर होने वाले व्यय इत्यादि समस्त दायित्वों का वहन निविदाकार द्वारा ही किया जावेगा।
11. वाहन की बीमा पॉलिसी इस प्रकार की होने चाहिए जिसमें वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों का जोखिम भी सम्मिलित हो।
12. अनुबंध अवधि में वाहन से संबंधित दस्तावेजों (बीमा एवं पीयूसी तथा अन्य समस्त आवश्यक दस्तावेज) की वैधता समाप्त होने के पूर्व उनका नवीनीकरण समय-सीमा में करा लिया जावे, इस पर होने वाले व्यय एवं नवीनीकरण की जिम्मेदारी संबंधित वाहन एजेंसी की होगी। नवीनीकृत दस्तावेजों की एक-एक स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. अनुबंध अवधि में वाहन म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम् अंतर्गत 03 उपसंभागों में पदस्थ जिस सहायक यंत्री को भ्रमण के लिए वाहन आवंटित होगा, उसके नियंत्रण में संचालित होगा। वाहन की पार्किंग आवंटित अधिकारी के निर्देशानुसार निर्दिष्ट स्थान पर की जावेगी।
14. अनुबंध अवधि में वाहन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में टूटफूट, चोरीहानि, दुर्घटना इत्यादि का पूर्ण दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा। इसकी हानि की प्रतिपूर्ति बीमा एजेंसी के प्राप्त करने के लिए समस्त कार्यवाही एजेंसी द्वारा अपने स्तर से ही की जावेगी। इसमें म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम् का कोई दायित्व नहीं होगा।
15. वाहन को उपसंभाग सीमा के अंदर ही वाहन चालक सहित उपलब्ध कराना होगा।

16. वाहन पर नियुक्त वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत, वाहन हेतु ईंधन, आयल, कमर्शियल टैक्स, परमिट शुल्क, बैरियर शुल्क, टोल-टैक्स, बीमा सहित अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।
17. आयकर एवं अन्य समस्त देय करों के भुगतान की राशि इस कार्यालय से देय भुगतान से काटी जाएगी।
18. निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्वच्छ छायाप्रतियां जिस पर फर्म की सील एवं अधिकृत हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ प्रस्तुत करें :-
 - 18 (क) - वाहन का पंजीयन की छायाप्रति।
 - 18 (ख) - आयकर कार्ड की छायाप्रति।
 - 18 (ग) - आधार कार्ड की छायाप्रति।
 - 18 (घ) - टैक्सी पंजीयन की छायाप्रति ।
 - 18 (ङ.) - वाहन का बीमा, पी0यू0सी0 व फिटनेश प्रमाण पत्र।
 - 18 (च) - वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस।
 - 18 (छ) - वाहन चालक का चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - 18 (ज) - निविदाकार का घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की छायाप्रतियां जो नियम व शर्तों में अंकित हो।
 - 18 (झ) - ट्रेवल एजेंसी का स्थापना पंजीयन।
 - 18 (ट) - नगर पालिका/नगर निगम का गुणवत्ता (ट्रेड) लायसेंस की छायाप्रति।
19. प्राप्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निविदाकार कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस संबंध में निविदाकार को घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदा सफल होने पर 02 वर्ष का अनुबंध राशि रू. 1000/- के स्टाम्प पर निविदा की समस्त नियम व शर्तों के अधीन "कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्" के साथ करना होगा।
22. वाहनों के मुख्यालय में उपयोग के समय एवं मुख्यालय से बाहर भ्रमण के दौरान पार्किंग शुल्क/टोल टैक्स आदि व्यय संबंधित एजेंसी द्वारा किया जावेगा।
23. प्रदाय किये गये वाहन के सम्पूर्ण अभिलेख वाहन में उपलब्ध रहना अनिवार्य है ताकि आर0टी0ओ0/पुलिस निरीक्षण में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न हो।
24. वाहन चालक द्वारा किया गया कोई भी व्यवहार निविदाकार वाहन एजेंसी के द्वारा किया गया माना जावेगा।
25. वाहन प्रदाय करते समय प्रतिदिन ईंधन, ऑयल एवं अन्य वाहन की जरूरी जाँच वाहन चालक द्वारा किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो शीघ्र ही उसे दुरुस्त करना अनिवार्य होगा। यह संबंधित एजेंसी का दायित्व होगा।
26. वाहन की लॉगबुक बनानी अनिवार्य होगी, जिसमें अद्यतन प्रविष्टि की जानी होगी। वाहन चालक द्वारा इसमें नियमित रूप से प्रविष्टि करना होगी। लॉग बुक पर सक्षम प्राधिकारी/ उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जावेगे।
27. ट्रेवल एजेंसी द्वारा वाहन किराया देयक भुगतान हेतु प्रतिमाह की 10 तारीख तक एवं कार्यपालन यंत्री की लॉगबुक की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा। देयकों का संबंधित अधिकारी से सत्यापन पश्चात् दरों की गणना की परीक्षण कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
28. वाहन में किसी प्रकार की खराबी आने पर तत्काल अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।

29. वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की पुष्टि उपरांत एजेंसी द्वारा माह में किसी भी दिन वाहन उपलब्ध न कराने पर समानुपातिक दर से देय राशि का कटौती किया जावेगा।
30. वाहन चालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आँखों की दूरदृष्टि 6/6 क्षमता की बिना चश्मा पहने होना चाहिए। वह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी, मिर्गी आदि बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए इस संबंध में वाहन चालक के पक्ष में सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी शारीरिक स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त बीमारी के संबंध में हर 06 माह में चिकित्सीय परीक्षण कराकर चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा।
31. वाहन चालक ने पूर्व में जहाँ भी कार्य किया हो, उस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा।
32. संबंधित एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वाहन चालक का किसी भी दुर्घटना में न्यायालय के द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा वाहन चालक के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय व पुलिस थाना में दर्ज नहीं है। यदि उक्त जानकारी असत्य पाई जायेगी तो कार्यरत वाहन चालक को तत्काल हटाया दिया जायेगा एवं इस संबंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही होती है तो संबंधित एजेंसी की सम्पूर्ण जबावदारी होगी।
33. यदि चयनित निविदाकार स्वीकृति पत्र (LOA-Letter of Acceptance) जारी होने के उपरांत 15 दिवसों के भीतर अनुबंध करने एवं परफार्मेंस सिक्युरिटी डिपोजिट राशि जमा करने में असमर्थ रहता है, तो उसकी जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
34. कार्यालय द्वारा वाहन कार्यादेश जारी होने पर चयनित निविदाकार वाहन एजेंसी को निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा परफार्मेंस सिक्युरिटी डिपोजिट राशि कार्यालय द्वारा राजसात करते हुए वाहन एजेंसी को ब्लेक लिस्ट में नाम दर्ज कर अयोग्य घोषित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
35. इस अनुबंध को लेकर किसी भी प्रकार के विवाद के लिए म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के प्रबंध संचालक एक मंत्र रहेंगे तथा उनके द्वारा दिया गया पंच निर्णय दोनों पक्षों पर बंधनकारक रहेगा।


कार्यपालन यंत्री

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्

// निविदा प्रपत्र //

(सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए वाहन किराए पर लिये जाने हेतु आनलाईन निविदा बावत्।)

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग नर्मदापुरम्

विषय :- नर्मदापुरम् संभाग अंतर्गत 03 उपसंभागों में पदस्थ सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए 03 नग वाहन किराया हेतु आनलाईन निविदा बावत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था/फर्म/ट्रेवल्स एजेंसी की जानकारी निम्नानुसार है

:-

1. फर्म का नाम :-
2. फर्म के प्रतिनिधि का नाम:-
3. जी0एस0टी0 पंजीयन क्रमांक:- (छायाप्रति संलग्न करें।)
4. निविदा सिस्टम क्रमांक :-
5. वाहन मासिक के आधार पर :- अधिकतम 1000 किलोमीटर प्रतिमाह (फिक्स) के आधार पर दरे संलग्न निर्धारित बी0ओ0क्यू0 (BOQ) फाईल में ही आनलाईन भरी जावे, और यदि वाहन 120 कि.मी. या इससे कम चलता है तो न्यूनतम 120 किमी का भुगतान प्रस्तुत दर से किया जावेगा।
नोट - वाहन किराया की अधिकतम व्यय सीमा रू. 17,000/- (शब्दों में रूपये सत्रह हजार मात्र) प्रतिमाह प्रति सहायक यंत्री रहेगी।
6. निविदा प्रपत्र मूल्य :- रू. 2000/- (रू. दो हजार मात्र) पोर्टल के माध्यम से देय।
7. अमानत राशि :- रू.12000/- (रू. बारह हजार मात्र) पोर्टल के माध्यम से देय।
8. पत्र व्यवहार का पता :-

..... पिन कोड

ईमेल आई0डी0 :-

मोबाईल नंबर :-

दूरभाष नंबर :-

हस्ताक्षर व फर्म की सील.....
फर्म के मालिक का नाम.....

// घोषणा पत्र //

(सहायक यंत्रियों के भ्रमण के लिए वाहन किराए पर लिये जाने हेतु आनलाईन निविदा बावत्।)

मैं (वाहन एजेंसी का मालिक) पिता श्री

..... वाहन एजेंसी का नाम पता

..... यह शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मेरे द्वारा निविदा के दिशा-निर्देश एवं नियम व शर्तें अच्छे से पढ़ने व समझने के उपरांत निविदा में भाग ले रहा हूँ।
2. यह कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में भरा गया विवरण पूर्ण रूप से सत्य है।
3. यह कि मेरी वाहन एजेंसी या मुझे किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्व-शासकीय या अन्य संस्था/संस्थान द्वारा ब्लैक लिस्टेड (काली सूची में दर्ज) नहीं किया गया है।
4. यह कि निविदा प्रक्रिया में चाहे गये समस्त दस्तावेज, जो मेरे द्वारा संलग्न किये गये हैं, सही एवं सत्य हैं।
5. यह कि निविदा प्रक्रिया में मेरा चयन होता है, तो मेरी वाहन एजेंसी निविदा के दिशा-निर्देश एवं नियम व शर्तों के अधीन वाहन किराये पर दिये जाने के लिये सहमत है।

उपरोक्तानुसार मैं अपने पूर्ण होशो-हवास में रहते हुए सत्य निष्ठा से घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई निविदा हेतु समस्त जानकारी सत्य व सही है, यदि दिया गया विवरण अथवा जानकारी मिथ्या पाई जाती है, तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।

स्थान

दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर.....

फर्म की सील.....